



2026:AHC:55010

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस
संख्या - 1982/2026

शिवम पाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... विपरीत
पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	आनंद कुमार चौरासिया,	आशीष
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	कुमार मिश्रा	जी ए

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री आशीष कुमार मिश्रा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री विपिन शुक्ला और राज्य के प्रतिनिधि एजीए श्री राधे श्याम की दलीलें सुनी गईं एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन केस क्राइम नंबर 12 / 2026, धारा 109(1), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना फूलपुर जिला प्रयागराज के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ याचिका दायर की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था और उसका नाम सह-आरोपी अजम रेन के इकबालिया बयान में सामने आया है। हालांकि, याचिकाकर्ता को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आगे यह भी कहा गया है कि उक्त घटना में किसी को भी गोली लगने से चोट नहीं आई है और घायल शनि सोनी को लगी चोटें मामूली प्रकृति की हैं, जो किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी हैं। वह मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. मैंने विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है।

6. एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं था और सह-आरोपी अजम रेन के इकबालिया बयान में उसका नाम सामने आया। हालांकि, आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। उक्त घटना में किसी को भी गोली लगने से चोट नहीं आई और घायल शनि सोनी को लगी चोटें मामूली प्रकृति की हैं, जो किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी हैं।



7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान अधिवक्तों की दलीलों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका पर विचार करते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

10. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ता शिवम पाल की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष



उपस्थित होगा और किसी भी अनुचित स्थगन की मांग नहीं करेगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकता है।

11. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र
कुमार सिन्हा)

18 मार्च, 2026